

**कार्यालय,
सत्रिय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 15-5-2019

-कार्यालय ज्ञाप-

अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परामर्श कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्त में अंकित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/आयोजन प्रवेश सम्मति पत्र/कॉपी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का परीक्षण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की सस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्डिनसलियम प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को सफलता कराने के उपरांत ही की जाएगी।

उपरोक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा निम्न कार्य निर्दिष्ट हैं-
प्राथमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निर्धारित कॉपी में अंकित संस्थाओं को सम्बद्धता प्रवेश सम्मति हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का पता	ए०आई०सी०टी०ई० की पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश सम्मति	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश सम्मति
1	उ०प्र०	ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किया गया।	डिप्लोमा इन फार्मसी	क	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था संलग्नक-2 में अंकित प्राथमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद डिप्लोमा इन फार्मसी 1992 के तहत अर्थ निर्दिष्ट निधि को अनुदानित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में कुल 45,000.00/- प्रतिवर्ष, दो शरीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु 80- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की अवधि में कुल 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही निर्धारित किया जाएगा।
- ✓ संस्था को निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्मति के अंतर्गत प्रवेश सम्मति प्रदान की जाएगी।
- ✓ संस्था को निर्धारित प्राथमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्मति के अंतर्गत प्रवेश सम्मति प्रदान की जाएगी।

- ✓ सरकारी में संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिधि द्वारा आवेदन पत्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीट आवेदित न होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ सरकारी को समस्त-समय पर निरीक्षण शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सरकारी को एकादश (11) जून 2019 को आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये और तब तक होगा।
- ✓ सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनये गये विधि/नियम/अधिनियम/शासनादेश/निदेशों एवं निर्देशांक प्राविधिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रवेश परीक्षा परिधि-3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिधि-3000 द्वारा बनये गये नियमों/निर्देशों का पालन किया जाये।
- ✓ बिना इन कार्यों सम्पन्न होने पर उत्तर प्रदेश की सरकारी नई विधियों को अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। इस संबंध में सरकारी उत्तरदायित्व सरकारी को होगा और विधि रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सरकारी व्यक्त उत्तरदायी नहीं। प्राविधिक शिक्षा परिधि, समस्त प्रवेश परीक्षा परिधि प्राविधिक शिक्षा निर्देशांक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बाधा नहीं दिया जाता है तथा राज्य सरकार में भी आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार की प्रावृत्ति संबंधी अंशक प्राप्त किया जाये है जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्राप्त होगी।
- ✓ बिना इन कार्यों सम्पन्न होने पर उत्तर प्रदेश की सरकारी नई विधियों को अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। इस संबंध में सरकारी उत्तरदायित्व सरकारी को होगा और विधि रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सरकारी व्यक्त उत्तरदायी नहीं। प्राविधिक शिक्षा परिधि, समस्त प्रवेश परीक्षा परिधि प्राविधिक शिक्षा निर्देशांक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बाधा नहीं दिया जाता है तथा राज्य सरकार में भी आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार की प्रावृत्ति संबंधी अंशक प्राप्त किया जाये है जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्राप्त होगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त की निर्मित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सरकारी को अपने वेबसाइट पर सरकारी को समस्त सूचनाएं जैसी सरकारी की ऐतिहासिक प्रविष्टि स्थापना-संस्था उपलब्ध प्राप्त किया जाये तथा सरकारी को प्राप्त करने के लिए सरकारी को आवश्यकता अनुसार किया जाये।
- ✓ सरकारी को शिक्षण-परिधि एवं संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परीक्षा करने के लिए सरकारी को आवश्यकता अनुसार सरकारी को आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सरकारी को सुनिश्चित है कि सरकारी में प्रस्तावित/संशुद्धित बाधकता का प्रवेश होने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य सुनिश्चित, फनीयर, बाधकता इत्यादि को यदि सरकारी द्वारा किसी अन्य प्रस्तावकों के अभाव में प्रवेश किया जाता है और परिधि के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि सरकारी उत्तरदायी का प्रवेश किसी अन्य बाधक के लिए सरकारी है या सरकारी सरकारी को सम्बन्धित कार्यवाही किया जाये।
- ✓ सरकारी को सरकारी को अनुमोदन के लिए जाने कथन द्वारा जो उत्तरदायी के लिए सरकारी की स्थिति में वेबसाइट पर सुनिश्चित करनी होगी।

(निदेशांक 15-5-2019)
संविधि

पृष्ठ- प्राविधिक/परिधि सम्बन्धित / 2019 / 1133-2262

दिनांक 15-5-2019

प्रतिलिपि: - शासनादेश/निदेशांक-उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी कार्यवाही के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करने के लिए।

(निदेशांक 15-5-2019)
संविधि

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली वाटरशियर जॉय इन्फिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिदेश नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"किसी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीपीसीआईओ द्वारा उन्हें सम्बद्ध अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीपीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अधिक पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीपीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या की प्राथमिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	पदनाम शीर्षक	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीपीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीपीसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3328	आलएसआई इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कार्मेली/इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एजिटा, इटावा।	डिप्लोमा इन कार्मेली	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीपीसीआईओ/पीपीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1982, सेमेस्टर विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों इन्वीड पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों पाठ्यक्रमों (दो बर्षों कार्मेली पाठ्यक्रम के तहत) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही अवशेष छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के अभाव में समय-समय पर आसन द्वारा लिया किये जाते शारणादेश प्रयोग होने, और अनुक्रम कार्मेली किया

(Handwritten Signature)

जाना आवश्यक होगा। नीचा निर्धारण समिति द्वारा बंधे सत्र 2020-21 हेतु नीचा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो नीचा की परीक्षाएं ही लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (50%) प्राथमिक शिक्षा समिति/द्वितीय श्रेणी के समिति/संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाये। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। नीचा के शिक्षा का करने की स्थिति में प्रवेश प्रवेश प्रदान के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सम्बद्ध-सम्बद्ध पर निर्णय शासन/देश के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता सुदृढ़ बना करण होगा।
- ✓ संस्था को एम्पाईमेंट/टीचर्स/प्रीचरी/आर्ट्स से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रवेश प्रवेश प्रदान द्वारा बनाये गये विधि/विधियों/अनुमोदन/शासन/देश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए काम करेगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों पर्याप्त नहीं संस्था में ही प्रीचरी/आर्ट्स नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक शर्तों के ही इन संस्था में समस्त आवश्यकताओं संस्था का योग्य और निश्चित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्रवेश प्रदान को कोई भी कार्य किया जाता है तथा राज्य याद के संस्था में नए शासनालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों पर्याप्त संस्थागत करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रवेश प्रवेश प्रदान द्वारा प्रवेश करने के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व प्रीचरी/आर्ट्स से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद शासनालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यनिर्देशों के शासन से संस्था संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोद नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रवेश प्रवेश प्रदान द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय परीक्षाएं उत्तरण निर्णय का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएँ, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क, सहायता शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त साधन/उपकरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो गे कि संस्था में पर्यवेक्षण/सहायित पर्यवेक्षण को चलाने जाने हेतु निर्देशक समिति को संस्था उपलब्ध कराने गये अनिवार्य, भूमि-सूचना, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धता संस्था किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाये प्रवेश शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियम/उच्च अनुमोदन/देश/निर्देशों की जायेगी।

(50 आचार्यो सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1572-3141

तद दिनांक 15-09-2020

प्रतिष्ठान-प्रधानाचार्य/निदेशक, आचार्यसमिति इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नासिस्टिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, एकदिवस, इटावा।

(50 आचार्यो सिंह)
सचिव

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3325-R L T INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY, EKDIL, ETAWAH

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, R L T INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY, EKDI, ETAWAH


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव